कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्य प्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल – 462004
(ई–मेलः– rcs_audit@yahoo.in, दूरभाष नम्बर 0755–2551131, फैक्स नम्बर 0755–2551134)

क्रमांक/अंके./2/2016/303 भोपाल दिनांक 21/4/16

प्रति,

अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त
सहकारिता,
समस्त, म.प्र.

विषयः–सहकारी संस्थाओं की अनुपयोगी आस्तियों एवं डूबन्त राशियों के अपलेखन तथा विक्रय करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण ।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भंडार/7/88/1208 दिनांक 23.08.1988

– – –

उपरोक्त विषयानतर्गत सहकारी संस्थाओं की अनुपयोगी सामग्री एवं डूबन्त राशियों के अपलेखन तथा विक्रय के संबंध में संदर्भित पत्र को निरस्त किया जाकर म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 43, धारा 56 एवं 58 तथा उसके साथ विरचित नियम 28 एवं 50 के तहत निम्नानुसार प्रक्रिया निर्दिष्ट की जाती हैः–

डूबन्त–अनुपयोगी आस्तियों का प्रमाणन एवं प्रावधानीकरण

1. अनुपयोगी एवं समाप्त प्रायः मृत स्कंध एवं डूबन्त ऋण और ऐसी अग्रिम आस्तियां जो कि वैधानिक संपरीक्षा में डूबन्त आस्ति के रूप में प्रमाणित की गई है और जिनकी वसूली की जाना संभव नही है, के अपलेखन के लिये सर्वप्रथम देयता पक्ष में डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण निधि, मिस एप्रोप्रियेशन निधि, मूल्य उतार चढाव निधि में समतुल्य राशि के प्रावधान किया जाना आवश्यक है। निधियों में अपलेखन संबंधी निधि निर्मित नहीं होने पर किसी भी आस्ति का अपलेखन नहीं किया जा सकेगा।
2. संपरीक्षक द्वारा ऐसी आस्तियों के सत्यापन के समय अपलेखन योग्य राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा तथा यह भी प्रमाणित किया जावेगा कि संस्था द्वारा उपरोक्त अपलेखित किये जाने वाली राशि की वसूली अथवा नुकसान की पूर्ति के लिये आवश्यक सभी वैधानिक प्रयास कर लिये गये है।
3. संपरीक्षक द्वारा जिस लेखा वर्ष में डूबन्त राशि सत्यापित की गई है, यदि उसी वर्ष में संबंधित राशि के विरूद्ध निधियों में समतुल्य प्रावधान नहीं किये जा सके है तो अनिवार्यतः आगामी वर्ष में ऐसे प्रावधान किये जावेगे।
4. संस्था द्वारा यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/बैंक/केन्द्रीय सहकारी संस्था/शीर्ष, सहकारी संस्था अथवा अन्य किसी ऋण प्रदाता से जिस आस्ति हेतु कोई ऋण प्राप्त किया गया और वह डूबन्त अथवा अनुपयोगी हो गयी है तो संस्था द्वारा संबंधित ऋण प्रदाता से भी अपलेखित की जाने वाली आस्ति के संबंध में अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगा।
5. जब राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गयी किसी ऋण राहत स्कीम का कियान्वयन किसी सोसाइटी द्वारा किया जाता है तो वह अपनी डूबन्त तथा शंकास्पद ऋण आरक्षित निधि को उस स्कीम के अधीन उधारों को बट्टे खाते डालने के लिये समायोजित कर सकेगी।

6. अपलेखन किये जाने के पूर्व, संस्था की वार्षिक आमसभा की अनुमति उपरांत रजिस्ट्रार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा अनुमोदन देते समय ही यह सुनिश्चित किया जावेगा कि संस्था द्वारा अपलेखन आस्ति के विरुद्ध नियमानुसार आदश्यक प्रावधान संबंधित निधि में कर लिये गये है।

7. उपरोक्तानुसार यह आवश्यक है कि यथा समय संभावित हानियों के संबंध में आवश्यक प्रावधान यथा समय किये जावे तथा विक्रय योग्य खराब एवं अनुपयोगी–अनुपयोज्य सामग्री के बाजार मूल्य के आंकलन के संबंध में सक्षम समिति में निर्णय लिये जाकर प्राप्त जानकारी के आधार पर पुस्तकीय मूल्य एवं बाजार मूल्य की अंतर राशि का प्रावधान अपलेखन हेतु किया जाना आवश्यक है।

<u>अनुपयोगी सामग्री के विक्रय हेतु समिति का गठन एवं प्रकिया</u>

8. अनुपयोगी/खराब सामग्री तथा अनुपयोज्य अन्य आस्तियां के अपलेखन के लिये समतुल्य राशि का प्रावधान निधियों में किये जाने के उपरान्त उपरोक्त आस्तियों के विक्रय के लिये निम्नानुसार गठित समितियों में अनुमोदन उपरान्त विक्रय की कार्यवाही की जावेगी :–

1.	प्राथमिक स्तर की संस्थायें	–1. जिले के सहायक पंजीयक 2. संस्था के अध्यक्ष 3. संस्था के वैधानिक अंकेक्षक 4. संस्था के प्रबंधक
2.	जिला स्तर की सहकारी संस्थायें	– 1. जिले के उप/सहायक पंजीयक 2. संस्था के वैधानिक अंकेक्षक 3. संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक/प्रबंधक 4. संस्था के अध्यक्ष
3.	संभाग स्तरीय संस्थायें	– 1. संभाग के संयुक्त आयुक्त सहकारिता 2. संस्था के अध्यक्ष 3. संस्था के वैधानिक अंकेक्षक 4.संस्था के प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
4.	शीर्ष/राज्य स्तरीय/अंतर संभागीय संस्थायें	– 1. पंजीयक का प्रतिनिधि, जो संयुक्त आयुक्त स्तर से निम्न ना हो 2. संस्था के अध्यक्ष 3. संस्था के प्रबंध संचालक 4. संस्था के वैधानिक अंकेक्षक

9. संस्था के प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक द्वारा अनुपयोगी प्रमाणित की गई आस्तियों के प्रचलित बाजार भाव को दर्शाते हुए समिति के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें उक्त सामग्री की खरीदी का मूल्य, समय, उपयोग/विक्रय न होने का कारण, खराब होने का कारण एवं उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण। समिति उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सामग्री का विक्रय मूल्य का निर्धारण करेंगी।

10. समिति के निर्णय अनुसार, संस्था के प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंध संचालक नियमानुसार विक्रय की कार्यवाही करेंगे। जो वस्तुयें सामान्य विक्रय के योग्य न हो उनको नीलामी द्वारा विक्रय करने का भी निर्णय लिया जाना चाहिए।

11. निराकृत की जाने वाली सामग्री यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती हो तो समिति के निर्णय के उपरान्त निराकृत करने के पहले संस्था को जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12. बैंको की डूबन्त आस्तियों के संबंध में नाबार्ड/आरबीआई द्वारा निर्धारित मापदण्डो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

13. डूबन्त एवं संदिग्ध आस्तियों के निपटारे के लिये यदि केन्द्र/राज्य शासन अथवा किसी अन्य ऋण प्रदाता द्वारा कोई समझौता योजना तैयार की गई है तो ऐसी योजना के तहत कार्यवाही करने के पूर्व योजना की जानकारी पंजीयक सहकारी संस्थाऐ के संज्ञान में लायी जाकर आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार वैधानिक प्रावधानों, नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

21/4/16

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/अंके./2/2016/303

भोपाल दिनांक 21/4/16

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश।
2. समस्त शाखाऐं मुख्यालय।
3. फोल्डर

21/4/16

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश